भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2898

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

बंद कोयला खदानों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

2898. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बंद कोयला खदानों को पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक केंद्रों, जलाशयों या औद्योगिक उपयोग के लिए इनका पुनर्विकास किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश में बंद कोयला खदानों का पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण या पुनः उपयोग करने का भी है;

(ग) यदि हाँ, तो देश में उन प्रमुख परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहाँ बंद कोयला खदानों को परिवर्तित किया जा रहा है या नए रूप में परिवर्तित किया गया है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खदानों के बंद होने के बाद उनमें कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा या वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी, हां। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कुछ बंद पड़ी कोयला खानों को पर्यटक स्थलों, सांस्कृतिक केन्द्रों, जलाशयों अथवा औद्योगिक प्रयोजनों आदि के लिए पुनः उपयोग में लाया गया है।

(ख) : जी, हां।

(ग) : कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) ने इको-पार्कों, खान पर्यटन स्थलों, मनोरंजन पार्कों, खान वॉइड्स में मत्स्यपालन, सौर विद्युत परियोजनाओं और अन्य

समुदायोन्मुखी सुविधाओं के विकास जैसी विभिन्न पुनः उपयोग पहलें की हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में बिश्रामपुर (केनापाड़ा) और अनन्या वाटिका।
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में सावनेर इको पार्क
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में केरकेट्टा माइन वॉइड्स में कायाकल्प वाटिका और मत्स्य पालन
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में ओरिएंट खान संख्या 4 में सीएस आजाद इको पार्क
- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) में झांजरा में सिंदूर इको पार्क और आम के बाग
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में पारसनाथ उद्यान

भारत में, कोयला खानों को बंद करने और पुनः उपयोग करने का कार्य अब कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए खनन योजना और खान समापन योजना-2025 तैयार करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। ये दिशानिर्देश वैज्ञानिक और खान समापन सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर देते हैं, जिसमें भूमि पुनरूद्धार, पर्यावरणीय जीर्णोद्धार बहाली और समुदाय तथा आर्थिक लाभ के लिए खनन के बाद का उपयोग शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों में दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय क्षति को न्यूनतम करने, बहु-उपयोगों के लिए भूमि के पुनर्वास और कृषि, मत्स्य पालन, इको-पार्क, जल निकाय जीर्णोद्धार, हरित ऊर्जा परियोजनाओं और सांस्कृतिक या विरासत संवर्धन जैसी गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं। ये दिशानिर्देश सार्वजनिक स्थानों के प्रचालन और रख-रखाव में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, रोजगार को बढ़ावा देने और खनन के बाद भूमि उपयोग की सांस्कृतिक प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।

(घ): कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वर्तमान में देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां संसाधन समाप्त होने के कारण खान बंद हो जाती है, वहां रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए स्थायी कामगारों को अन्य प्रचालनरत खानों में पुनः तैनात किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, खान बंद करने के दिशा-निर्देशों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीतियों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नियोजनीयता में वृद्धि करने और आय के वैकल्पिक अवसरों के सृजन के लिए स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम चलाते हैं। कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए खनन योजना और खान समापन योजना-2025 तैयार करने के लिए दिशानिर्देश में यह अधिदेश दिया गया है कि खान बंद करने के लिए जमा की गई पांच वर्षीय एस्क्रो राशि का न्यूनतम 25% सामुदायिक विकास और आजीविका गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाए। इसके अलावा, इन दिशा-निर्देशों में यह

निर्धारित किया जाता है कि अंतिम खान समापन की लागत का 10% जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निर्धारित किया जाता है। इस राशि का उपयोग जिला प्रशासन और हितधारकों के परामर्श से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, कौशल विकास और खनन के बाद के क्षेत्रों में स्थायी आजीविका सहायता के लिए किया जाना है।

*****